बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
(समाज कल्याण निदेशालय)

।। मार्गदर्शिका।।

मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण पुरस्कार

राज्य सरकार महिलाओं की दशा में सुधार, उनके सशक्तीकरण एवं समाज में सम्मान के साथ जीवन व्यतीत करने का अवसर प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है। समाज के वंचित समुदाय, विशेषकर महिलाएँ एवं किशोरियाँ कठिन परिस्थितियों एवं आर्थिक संकट के बावजूद, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास एवं सशक्तिकरण हेतु प्रयासरत हैं। उनके द्वारा संबंधित क्षेत्रों में विशेष एवं उत्कृष्ट कार्य किए जाते रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में संबंधित क्षेत्रों से जुड़ी किसी महिला को उसके उत्कृष्ट कार्य हेतु यदि सम्मानित किया जाए तो उस क्षेत्र विशेष में अन्य महिलाओं एवं व्यक्तियों को भी समाज के लिए कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार द्वारा राज्य में आर्थिक एवं सामाजिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक विकास, विधिक जागरुकता, पर्यावरण संरक्षण आदि के क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली एक महिला को राज्य स्तरीय एवं जिलास्तरीय पुरस्कार हेतु प्रत्येक जिला से एक महिला को पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च) के अवसर पर राज्य मुख्यालय तथा जिला मुख्यालयों में आयोजित होने वाले समारोहों में दिया जायेगा। महिला विकास निगम इन राज्यस्तरीय एवं जिलास्तरीय पुरस्कारों हेतु नोडल एजेंसी होगी।

1. **पात्रताः–** पुरस्कृत किये जाने वाले वर्ष में आवेदिका की उम्र 01 जनवरी को 21 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए। आवेदिका इस पुरस्कार से पूर्व में पुरस्कृत न की गयी हो तथा उसे संबंधित क्षेत्र में कम से कम 5 वर्षों का अनुभव प्राप्त हो।
2. **देय राशिः–**इस पुरस्कार के अंतर्गत राज्य स्तरीय पुरस्कार की राशि रु. 1,00,000/–(एक लाख) मात्र एवं जिला स्तरीय पुरस्कार की प्रति इकाई राशि रु. 50000/–(पचास हजार) मात्र होगी, जो चयनित आवेदिका के खाते में मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के सांस्कृतिक सशक्तीकरण मद से महिला विकास निगम, समाज कल्याण विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी। इस पुरस्कार हेतु राशि के अतिरिक्त प्रत्येक चयनित आवेदिका को प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा।
3. **आवेदन की प्रक्रियाः–** इस पुरस्कार के लिए आवेदन विहित प्रपत्र (अनुलग्नक–1) में संबंधित क्षेत्र में, किये गये उत्कृष्ट कार्यों का साक्ष्य संलग्न कर, दिया जाना अनिवार्य होगा।
4. **कार्य क्षेत्रः–** मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण पुरस्कार हेतु निम्नलिखित क्षेत्रों में किया गया उत्कृष्ट कार्य, जिससे महिलाओं का सशक्तीकरण, उनका विकास, तथा समाज में गुणात्मक सुधार परिलक्षित हो, के लिए प्रदान किया जायेगाः–

(i) **आर्थिक सशक्तीकरण**

क. **कृषि क्षेत्रः**– महिलाओं को भूमि अधिकार/पैतृक सम्पति में हिस्सेदारी दिलाने एवं उसके संबंध में विधिक सहयोग तथा सरकारी भूमि के हस्तांतरण में महिला का भी नाम अंकित करवाना, भूमि क्रय हेतु साख उपलब्ध करवाने में सहयोग, कृषि की उत्पादकता बढ़ाने में आधुनिक तकनीकों का प्रयोग या नवाचार एवं कृषि मजदूरों के काम की दशा में सुधार आदि में उत्कृष्ट कार्य।

ख. **असंगठित क्षेत्र** :– सामाजिक सुरक्षा के प्रावधानों, अवकाश, कार्य की अवधि ,वेतन, कार्य स्थल का माहौल, पेंशन, स्वास्थ्य लाभ, मातृत्व अवकाश एवं पारिवारिक माहौल में बच्चों की देखभाल, सुरक्षा आदि के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान।

ग. **कौशल विकास क्षेत्रः**– परंपरागत पेशों में प्रशिक्षण द्वारा गुणात्मक विकास, कौशल विकास के माध्यम से असंगठित क्षेत्रों में नियोजन एवं स्वरोजगार, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास के द्वारा आय सृजित करना तथा महिलाओं के लिए रोजगार का सृजन आदि।

घ. **सेवा प्रक्षेत्रः**– व्यावसायिक प्रशिक्षण द्वारा महिलाओं के स्वप्रबन्धन वाले उद्यमों का विकास, विभिन्न व्यवसायों में महिलाओं की भागीदारी में उत्कृष्ट कार्य, महिलाओं हेतु कर में विशेष प्रोत्साहन आदि।

ड. **मूलभूत सुविधाएँः**– ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र की महिलाओं के लिए मूलभूत सुविधाओं, यथा–शौचालय, गृह निर्माण, शुद्ध पेयजल आदि की व्यवस्था में उत्कृष्ट कार्य।

(ii) **सामाजिक सशक्तीकरणः–**

क. स्वास्थ्य एवं पोषणः– व्यवहार परिवर्तन एवं सम्प्रेषण के द्वारा महिलाओं के जीवन में गुणात्मक बदलाव, संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहन, बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य की देखभाल के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान, कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए सम्बन्धित विधि का प्रभावशाली क्रियान्वयन, घटते लिंगानुपात की रोकथाम आदि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य।

ख. शिक्षाः–बालिकाओं/महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में शोध/अध्ययन में उत्कृष्ट उपलब्धि, शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु कार्य, किशोरियों के विद्यालय छोड़ने की प्रवृत्ति को रोकने हेतु सकारात्मक पहल, विद्यालयों में लैंगिक समानता के प्रति संवेदीकरण आदि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य।

ग. महिलाओं का संरक्षणः– महिलाओं के प्रति होने वाली लैंगिक अथवा घरेलू हिंसा की स्थिति में सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, विधिक सहयोग और पुनर्वास आदि, लैंगिक समानता के कार्य एवं जेण्डर संवेदीकरण, लैंगिक भेद–भाव को समाप्त करने की दिशा में उल्लेखनीय पहल एवं योगदान, अनुसूचित जाति/जनजाति की महिलाओं एवं किशोरियों को मुख्यधारा से जोड़ने हेतु कार्य तथा वंचित, अल्पसंख्यक, विस्थापित महिलाओं का उत्थान, पुनर्वास आदि।

घ. पंचायती राज एवं स्थानीय निकाय – पंचायती राज एवं स्थानीय निकायों में महिलाओं की भागीदारी एवं निर्णयन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान।

ड. लैंगिक विषय से संबंधित कानूनों का क्रियान्वयनः – महिला सम्बन्धी कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन, यथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट 1994, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम (ITPA) 1956 एवं कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 आदि के क्षेत्र में किया गया उत्कृष्ट कार्य।

(iii) **सांस्कृतिक सशक्तीकरणः**– लोक संगीत, लोक नृत्य, परम्परागत कला–शिल्प एवं खेल–कूद मे उत्कृष्ट कार्य।

(iv) **पर्यावरण संरक्षणः**– वन एवं प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, वृक्षारोपन, सौर ऊर्जा एवं अन्य श्रोतों से ऊर्जा के उत्पादन में उत्कृष्ट उपलब्धि।

(v) **अन्यान्यः** वैसे सभी प्रकार के कार्य जिनसे महिलाओं के जीवन एवं समाज में गुणात्मक सुधार एवं विकास को बढ़ावा मिला हो।

चयन प्रक्रियाः– मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण पुरस्कार अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष सभी जिलों में एक जिला स्तरीय पुरस्कार एवं राज्य में एक राज्यस्तरीय पुरस्कार दिया जाना है। संबंधित पुरस्कार के लिए प्रत्येक वर्ष अक्टूबर–नवम्बर माह में आवेदन आमंत्रित करने हेतु महिला विकास निगम द्वारा विज्ञापन प्रकाशित कराया जायेगा। राज्यस्तरीय पुरस्कार के लिए आवेदन पत्र महिला विकास निगम तथा जिला स्तरीय पुरस्कार के लिए आवेदन पत्र प्रत्येक जिला के जिला प्रोग्राम पदाधिकारी कार्यालय में जमा किया जायेगा। जिला स्तरीय पुरस्कार हेतु प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा (Scrutiny) जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा की जाएगी। जिला स्तरीय चयन समिति का स्वरूप निम्नवत होगाः–

क्र0सं0	चयन समिति के सदस्य	पद
1	जिला पदाधिकारी	अध्यक्ष
2	उप विकास आयुक्त	सदस्य
3	जिला शिक्षा पदाधिकारी	सदस्य
4	जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनित एक वरीय महिला पदाधिकारी	सदस्य
5	जिला प्रोग्राम पदाधिकारी	सदस्य सचिव
6	ख्याति प्राप्त गैर सरकारी संस्थाओं की दो महिला प्रतिनिधि	सदस्य

यह समिति तीन नामों की अनुशंसा, (अनुलग्नक– 2 में), जिला पदाधिकारी के माध्यम से, प्रबन्ध निदेशक, महिला विकास निगम को सभी अनुलग्नक एवं साक्ष्यों के साथ 15 दिसम्बर तक भेजेगी। चयन समिति की बैठक की कोरम पूर्त्ति हेतु कम से कम आधे सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

जिलों से प्राप्त अनुशंसित सूची एवं राज्य स्तरीय पुरस्कार हेतु प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा की जाएगी। इस समिति का स्वरुप निम्न प्रकार होगाः–

क्र0सं0	चयन समिति के सदस्य	पद
01	माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग	अध्यक्ष
02	सचिव, समाज कल्याण विभाग	सदस्य
03	प्रबन्ध निदेशक, महिला विकास निगम	सदस्य सचिव
04	अध्यक्ष, चयन समिति द्वारा मनोनित एक वरीय महिला पदाधिकारी, (भा0प्र0से0)	सदस्य
05	निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय	सदस्य
06	प्रतिनिधिः क. पंचायती राज विभाग ख. शिक्षा विभाग ग. ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य
07	ख्याति प्राप्त गैर सरकारी संस्थाओं की **चार** महिला प्रतिनिधि	सदस्य

राज्य स्तरीय समिति द्वारा जिलों से प्राप्त अनुशंसाएँ एवं राज्य स्तरीय पुरस्कार हेतु प्राप्त आवेदनों पर बैठक में अंतिम रूप से चयन हेतु नामों पर निर्णय लिया जाएगा। एक ही आवेदिका एक वर्ष में राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय पुरस्कार हेतु चयनित नहीं की जा सकेंगी। इस समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। चयन समिति की बैठक की कोरम पूर्त्ति हेतु कम से कम आधे सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

(अमरनाथ मिश्र)
सरकार के अपर सचिव
समाज कल्याण विभाग

ज्ञापांक– 944 पटना, दिनांक– 28-05-15

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार, पटना/सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम, बिहार, पटना/वित्त सचिव (संसाधन), वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मानव संसाधन विभाग/प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग/प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, समाज कल्याण, बिहार, पटना/निदेशक, आई0सी0डी0एस0, बिहार, पटना/निदेशक, सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय एवं कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(अमरनाथ मिश्र)
सरकार के अपर सचिव
समाज कल्याण विभाग

ज्ञापांक– 944 पटना, दिनांक– 28-05-15

प्रतिलिपिः– सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना एवं आप्त सचिव, माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(अमरनाथ मिश्र)
सरकार के अपर सचिव
समाज कल्याण विभाग

ज्ञापांक– 944 पटना, दिनांक– 28-05-15

प्रतिलिपिः– आई0टी0मैनेजर, समाज कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं विभागीय बेवसाईट पर मार्गदर्शिका को अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(अमरनाथ मिश्र)
सरकार के अपर सचिव
समाज कल्याण विभाग

मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण पुरस्कार (राज्य एवं जिला स्तरीय) हेतु आवेदन प्रपत्र

फोटोग्राफ

1	नाम	
2	जन्म तिथि	
3	माता एवं पिता का नाम	
4	टेलीफोन नं0(कोड सहित) / मोबाईल नं0	
5	वर्तमान पता	
6	बैंक खाता संख्या, शाखा का नाम, आई. एफ.एस.सी. (IFSC) कोड (पासबुक की छायाप्रति)	
7	कार्य क्षेत्र एवं स्थान जहाँ कार्य किए हों:–	
8	आवेदिका का जीवनवृत्त	
9	आवेदिका के द्वारा किये गये उत्कृष्ट / नवाचारी कार्य एवं उसके परिणाम का संक्षिप्त विवरण(साक्ष्यों के साथ) समयावधि के उल्लेख के साथ	
10	संबंधित कार्यो को दूसरे व्यक्तियों / संस्थाओं द्वारा लागू किये जाने संबंधी विवरण	
11	दो संदर्भित व्यक्ति का नाम(हस्ताक्षर सहित) नाम, पदनाम एवं पूर्ण पता	1) 2)

आवेदिका का हस्ताक्षर

मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण (जिलास्तरीय पुरस्कार) हेतु अनुशंसा का प्रपत्र

क्र0	पुरस्कार हेतु अनुशंसित आवेदिका का नाम	कार्य उपलब्धि का विवरण
1		
2		
3		

स्थान

जिला पदाधिकारी का हस्ताक्षर

दिनांक